झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम्- सत्र

वर्ग-2

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 13 अग्रहायण, 1934 (श0) / 04 दिसम्बर, 2012 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

मांक	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01-	02-	03-	04-	05-	06-
5-	अ0सू0-06	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,	स्टेडियम का रख रखाव	कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य	27-11-12
6-	अ0सू0-10	श्री हरिकृष्ण सिंह,	होरीलौंग कोलियरी को अविलम्ब खोलना	खनन एवं भूतत्व	29-11-12
7-	अ0सू0-24	श्री संजय प्रसाद यादव,	पदाधिकारी पर कार्रवाई	मानव संसाधन	30-11-12
8-	अ0सू0-14	श्री अमित कुमार यादव,	मुआवजा का भुगतान कराना	वन एवं पर्यावरण	30-11-12
9-	अ0सू0-28	श्री दुलू महतो,	लिपी में परीक्षा लेना	मानव संसाधन	30-11-12
0-	अ0सू0-25	श्री विष्णु प्रसाद भैया,	पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना	मानव संसाधन	30-11-12
1-	अ0सू0-22	श्री दीपक बिरूवा,	कानूनी कार्रवाई करना	खनन एवं भूतत्व	30-11-12
2-	अ0सू0-23	श्री अरूण मंडल,	खनन चालान उपलब्ध कराना	खनन एवं भूतत्व	30-11-12
3-	अ0सू0-09	श्रीमती सीता सोरेन,	कानून का अनुपालन	मानव संसाधन	27-11-12
4-	अ0सू0-26	डॉ0 सरफराज अहमद,	चेक पोस्ट का निर्माण	खनन एवं भूतत्व	30-11-12

01-	02-	03-	04-	05-	06
25-	अ0सू0-07	श्री प्रदीप यादव,	दोषी पदा0 के विरूद्ध कार्रवाई	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	27-11-12
26-	अ0सू0-16	श्री अरविन्द कुमार सिंह	शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति	मानव संसाधन	30-11-12
27-	अ0सू0-04	श्रीमती गीताश्री उराँव,	दोष पदा0 के विरूद्ध कार्रवाई	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	27-11-12
28-	अ0सू0-19	श्री समरेश सिंह	हड़ताल वापस कराना	मानव संसाधन	30-11-12
29-	अ0सू0-13	श्री बन्ना गुप्ता,	आयोग का गठन	कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य	30-11-12
30-	अ0सू0-05	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,	खेल विश्वविधालय का खोलना	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	27-11-12
31-	अ0सू0-20	श्री मिस्त्री सोरेन	दोषी पदा0 के दण्डित करना	खनन एवं भूतत्व	30-11-12
32-	अ0सू0-11	श्री चन्द्रिका महथा	कॉलेज खोलना	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	30-11-12
33-	अ0सू0-31	श्री विदेश सिंह,	राशि उपलब्ध कराना	मानव संसाधन	30-11-12
34-	अ0सू0-12	श्री मिस्त्री सोरेन,	शिक्षकों की बहाली	मानव संसाधन	30-11-12
35-	अ0सू0-15	श्री बन्ना गुप्ता,	पद मुक्त करने के संबंध में	वन एवं पर्यावरण	30-11-12
36-	अ0सू0-21	श्री साईमन मराण्डी,	दोषी पदा0 पर कार्रवाई	वन एवं पर्यावरण	30-11-12
37-	अ0सू0-03	श्रीमती गीताश्री उराँव,	शिक्षकों की नियुक्ति	मानव संसाधन	27-11-12
38-	अ0सू0-29	श्री सौरभ नारायण सिंह,	प्रबंध समिति का गठन	मानव संसाधन	30-11-12
39-	अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	बालू घाटों का बन्दोवस्ती रद्द करना	खनन एवं भूतत्व	27-11-12
40-	अ0सू0-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	शिक्षकों की नियुक्ति	मानव संसाधन	24-11-12
41-	अ0सू0-02	श्री बन्धु तिर्की,	शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को लाभ दिलाना	मानव संसाधन	27-11-12
42-	अ0सू0-18	श्री समरेश सिंह,	विश्व विधालय की स्थापना	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	30-11-12
43-	अ0सू0-27	डॉ0 सरफराज अहमद्	विधालय खोलना	मानव संसाधन	30-11-12
44-	अ0सू0-30	श्री सौरभ नारायण सिंह,	अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई	खनन एवं भूतत्व	30-11-12
45-	अ0सू0-17	अरविन्द कुमार सिंह,	मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी करना	वन एवं पर्यावरण	30-11-12

राँची,
दिनांक- 04 दिसम्बर, 2012 ई0 ।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा राँची ।

ज्ञापांक- 3495 /वि0स0, राँची, दिनांक- 01/12/12

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सूचनार्थ प्रेषित ।

01.12.2012

(गुरूचरण सिंकू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

ज्ञापांक- 3495 /वि0स0, राँची, दिनांक- 01/12/2012

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/चयर्यालिपिक, सचिवीय कार्यालय को एवं अवर सचिव(प्रश्न) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय तथा अवर सचिव(प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित ।

01.12.2012

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

01/12/12

सुभाष
====

(16)

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.12.12 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाहीड प्रखंड में होरिलोंग कोलियरी अवस्थित है:	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कोलियरी का उद्धाटन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यमुना सिंह द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था और कोयला का उत्पादन भी शुरू हो गया था।	तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यमुना सिंह द्वारा वर्ष 2003 में संबंधित कोलियरी का उद्धाटन किया गया था परन्तु कोयला का उत्पादन शुरू नहीं किया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि होरिलोंग कोलियरी वर्ष 2003–04 से विभागीय लापरवाही के कारण बंद है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार होरिलोंग कोलियरी को अविलम्ब खोलना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं क्यों?	इस संबंध में सी०सी०सी०एल० से पत्राचार किया गया है।

ह०/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांकः– 1816 /एम०, राँची दिनांकः 02-12-12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विभान सभा, राँची के ज्ञापांक 3433 दिनांक 29.11.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.12.12
सरकार के अवर सचिव

(17)

श्री संजय प्रसाद यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-24

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड में अवस्थित सिद्धु-कान्हू स्मारक इंटर महाविद्यालय, महेशपुर राज को वित्तीय वर्ष 2006-2007 में मानव संसाधन विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-2549, दिनांक-10.09.2007 द्वारा 4,58,000/- (चार लाख अन्ठावन हजार) रू0 अनुदान दिया गया था।	वस्तुस्थिति यह है कि सम्पूर्ण मामले की जांच हेतु उपायुक्त, पाकुड़ को मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 3160 दिनांक 02.12.2012 द्वारा निदेशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमसंगत कार्रवाई की जा सकेगी।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुदान राशि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के डब्लू0पी0(एस0) नं0-2324/07 के अन्तर्गत ई.ए.नं.-2871/07 द्वारा खारिज किये जाने के बावजूद राशि की निकासी कर ली गई है।	
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस घोटाले में संलिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स5(1)-262/2012 3164/ दिनांक....03..... दिसम्बर, 2012/

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

19

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री दुलू महतो, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-28

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्री वैद्यनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है जिसमें मुख्य भाषाओं के साथ क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा ली जानी है;	उतर स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को अन्य विषयों के साथ क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा देनी है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की एक मात्र लिपि वाली भाषा संथाली है जिसकी परीक्षा में देवनागरी लिपि में ही लिया जाना है जबकि अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा उसी लिपि में लिया जाता है;	वस्तु स्थिति यह है कि झारखंड अधिविध परिषद द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में उड़ीया एवं बंगला भाषा को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की परीक्षा देवनागरी लिपि में ली जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड भी संथाली भाषा की परीक्षा उसी की लिपि (ओलचिकी लिपि) में लेने का का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उतर उपर्युक्त खंडो के उतर में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर)

सरकार के उप सचिव

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक - 4/वि0स0(अ0सू0)-127/12- 652 / राँची, दिनांक 3.2. 2012

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3456 दिनांक 30.11.12 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के उप सचिव

20

श्री विष्णु भैया, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –25

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में बी0 एड0 की पढ़ाई की सुविधा नहीं है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि विधायक निधि से जामताड़ा जिला अन्तर्गत बी0एड0 की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार है तथा बी0एड0 में एडमिशन कराने हेतु सिद्धों–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बी0एड0 की पढ़ाई के लिये कुछ कमरे बने है एवं राशि समाप्त हो जाने से भवन पूर्ण नहीं हुआ है। जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा में बी0एड0 की पढ़ाई हेतु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता के लिये दो बार आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ कमी के कारण मान्यता नहीं मिली। मान्यता प्राप्ति की प्रत्याशा में बी0 एड0 में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र की बिक्री की गयी थी, परन्तु एन0सी0टी0ई0 एक्ट 1993 के प्रावधानों के तहत मान्यता नहीं होने के कारण नामांकन नहीं लिया गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला में बी0एड0 की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहती है, यदि हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 1199 दिनांक 14.09.2012 के द्वारा कुलसचिव, सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को एन0सी0टी0ई0 एक्ट 1993 के प्रावधानों के तहत विहित प्रकिया अपनाते हुये एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त कर जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा में बी0 एड0 कोर्स संचालित करने का निदेश दिया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक : 4/वि0स0(अ0सू0)–114/2012–637 रॉची, दिनांक : 03 दिसम्बर 2012

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक 3459 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

23

श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–09

क्र0	प्रश्न क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री वैधनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में "शिक्षा का अधिकार" कानून लागू है ;	उतर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि "शिक्षा का अधिकार" कानून के नियमानुसार निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, जिसका पालन निजी विद्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में प्रवेश कक्षा की कुल सामर्थ संख्या के 25% की संख्या में विद्यालय के आस पास के कमजोर एवं अभिवंचित वर्गों के परिवारों के बच्चों का नामांकन विद्यालय प्रबंधन द्वारा लिया जाना है। तद्नुसार इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक 117 दिनांक 18.01.2011 के द्वारा सभी उपायुक्तों एवं शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त निजि विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकें आयोजित कर इस प्रावधान के अनुपालन में आ रहीं कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "शिक्षा का अधिकार" कानून का निजी विद्यालयों में सख्ती से अनुपालन कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उक्त प्रावधान के अनुपालन हेतु संकल्पित है।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/वि0स0(अ0सू0)118/12- 643 / **राँची, दिनांक–** 3.12.12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3348 दिनांक– 27.11.12 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

24

दिनांक 04-12-2012 को माननीय श्री डा० सरफराज अहमद, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में उठाये जाने वाले अल्प-सूचित प्रश्न- 26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री डा० सरफराज अहमद, स०वि०स०	उत्तरदाता माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001 में नौ कंपोजिट चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि कंपोजिट चेक पोस्ट नहीं बनने के कारण 50 हजार करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। परिवहन विभाग द्वारा अस्थायी चेकपोस्ट 10 स्थलों पर यथा-1. धनबाद (चिरकुंडा), 2. जमशेदपुर (बारसोल) 3. गुमला (मंझाटोली), 4. सिमडेगा (बांसजोर), 5. पाकुड़ (धुलियान), 6. चाईबासा (हाट गम्हरिया), 7. बोकारो (चासमोड़), 8. हजारीबाग (चौपारण), 9. गढ़वा (मुरीसेम्मर), 10. कोडरमा (मेघातरी) अधिष्ठापित किए गए हैं जिनके माध्यम से राजस्व की वसूली की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीध्र कंपोजिट चेक पोस्ट का निर्माण कराकर राज्य को हो रहे राजस्व की हानि को कम करना चाहती है, हाँ, तो कब तक ?	सरकार द्वारा चेकपोस्ट निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित है । उक्त समिति द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसपर सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम संवेदक के द्वारा किए गए कार्यो की देय राशि का आकलन कर भुगतान किया जाए तथा अवशेष कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग से कंपोजिट चेकपोस्ट शीघ्र पूर्ण कराया जाए । देय राशि का आकलन करने के लिए विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को निदेश दिया गया है।

ह0/-

उप सचिव

परिवहन विभाग

05.12.2012

ज्ञापांक - परि0वि0-536/2012- 1355 /राँची,दिनांक 03/12/2012

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक - 3460/वि0स0 दिनांक 30.11.2012 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/सरकार के अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

3.12.12.

उप सचिव
परिवहन विभाग

05.12.2012

26 (A)

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-16

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्री वैद्यनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नीमडीह प्रखण्ड में प्राथमिक मध्य उच्च एवं उत्क्रमित विद्यालय की संख्या - 40 (चालीस) है;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है। नीमडीह प्रखण्ड में 100 प्राथमिक विद्यालय एवं 49 मध्य विद्यालय अवस्थित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि नीमडीह प्रखण्ड अन्तर्गत रघुनाथपुर हाई स्कूल, झिमड़ी उत्क्रमित हाई स्कूल, पुनियारा हाई स्कूल, मुरु उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चाहरदिवारी नहीं है, शिक्षक की संख्या कम है;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुरु में 1 शिक्षक एवं 3 पारा शिक्षक कार्यरत है। उक्त विद्यालय में चाहरदिवारी हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2013-14 की कार्य योजना में प्रस्ताव शामिल किया जायेगा। भारत सरकार से प्रस्ताव अनुमोदित होने की स्थिति में चाहरदिवारी का निर्माण कराया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्कूलों की चाहरदिवारी बनवाना एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर खंड 2 में निहित है।

सरकार के उप सचिव

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक - 4/वि0स0(अ0सू0)-120/12 - 645 रॉंची, दिनांक 3.2.2012

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3454 दिनांक 30.11.12 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(B)

26

श्री अरविन्द कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-16

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नीमडीह प्रखंड में प्राथमिक मध्य उच्च एवं उत्कमित विद्यालयों की संख्या-40 (चालीस) है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नीमडीह प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथपुर हाई स्कूल, झिमड़ी उत्कमित हाई स्कूल, पुनियारा हाई स्कूल, मुरू उत्कमित मध्य विद्यालय में चाहरदीवारी नही है, शिक्षक की संख्या कम है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्कूलों की चाहरदीवारी बनवाना एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	उच्च विद्यालयों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में विद्यालयों का भवन निर्माण कराया जाना है। उच्च विद्यालयों में चाहरदीवारी का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। परिस्थिति विशेष में किसी विद्यालय विशेष में शिक्षक की कमी होने पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति की जाती है। सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.12/स5(1)-261/2012.3173./ दिनांक.....03..... दिसम्बर, 2012/

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

(27)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 04.12.2012 को श्रीमती गीताश्री उरॉव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–04 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि घाटशिला, चतरा तथा चक्रधरपुर में महिला औद्योगिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना था ?	1 स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त योजनाओं का वर्ष 2004–05 में स्वीकृती दी गयी थी तथा संस्थानों के लिए 62–62 लाख रू0 भी आवंटित किया गया था ?	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि बालिकाओं के क्षमता विकास से संबंधित ये योजनाएँ 07 वर्षों के बाद भी शुरू नहीं किया गया है ?	3. चक्रधरपुर में भूमि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा तीनों स्थानों पर निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग से प्राप्त किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिला औधोगिक विधालय का निर्माण कराने तथा इस योजना से जुड़े लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तथा दंडित करने का विचार रखती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	4. निर्माण के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्रारम्भ होना है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0वि0स0–48 / 12 3347 /राँची, दिनांकः– 3/12/12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3314 दिनांक 27.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/12/12
(जुल्फिकार अली)
सरकार के अवर सचिव

28

श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –19

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्थायी संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत करने एवं घाटानुदान देने की घोषणा सरकार द्वारा विगत 11 माह पूर्व किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2012–13 से लागू करना था, जो अभी तक लागू नहीं किये गये है।	अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ द्वारा 17.11.2012 को इसे लागू नहीं किये जाने के विरोध में 23.11.2012 से अनिश्चितकालिन हड़ताल पर जाने की सूचना सरकार को दी है, तथा सरकार द्वारा पहल नहीं किये जाने पर वे अनिश्चितकालिन हड़ताल पर चले गये है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 334 दिनांक 19.03.2012 के द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये आश्वासन संख्या–755/2011 के अनुपालन हेतु 46 स्थायी संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की समस्याओं के समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया । उक्त समिति द्वारा सभी संबंधित विश्वविद्यालयों से 46 स्थायी संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का स्टेटस रिर्पोट प्राप्त किया गया। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु मापक भी तैयार किया गया। इसी बीच कतिपय कारणों से विभागीय अधिसूचना संख्या–1307 दिनांक 19.10.12 के द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित समिति की एक बैठक भी हुई। परन्तु समिति के पदनामित सदस्यों के विश्वविद्यालय में कालावधि समाप्त होने के चलते समिति को पुनः पुनर्गठित करने की आवश्यकता हो गयी। समिति के सदस्यों का "**पदनाम** " से पुनर्गठन की कारवाई प्रकियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोषणा लागू कराते हुए हड़ताल वापस कराने की इच्छा रखती है, यदि हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	समिति के पुनर्गठन के पश्चात् उससे वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सम्यक विचारोपरान्त समुचित कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक : 4/वि0स0(अ0सू0–117/2012–640 रॉची, दिनांक : 03 दिसम्बर 2012

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक 3458 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव।

(29)

श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 04.12.12 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० –13 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री बन्ना गुप्ता माननीय सदस्य विधान सभा	श्री सुदेश कुमार महतो (उप मुख्य मंत्री) माननीय मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के युवाओं के विकास के लिए यूथ कमीशन का गठन किया जाना है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है।	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा युवा को परिभाषित नहीं किये जाने के कारण वित्त विभग से यह कहते हुए प्रस्ताव को लौटा दिया है कि खेल विभाग युवा को परिभाषित करे एवं युवा आयोग के गठन के औचित्य बतायें।	युवा आयोग का गठन किया जा चुका है जिसकी अधिसूचना संख्या–88, ज्ञापांक 1126 दिनांक 30.11.12 है।
4.	उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार युवा को परिभाषित कर युवा आयोग के गठन क औचित्य बताने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर्युक्त कंडिका–3 में स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1136 / राँची, दिनांक 3/12/12

प्रतिलिपिः अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3450 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/12/12
सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 04.12.12 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–05 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री सुदेश कुमार महतो (उप मुख्य मंत्री) माननीय मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने के आलोक में राज्य में एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय सरकार द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2012 को लिया गया और इसी संदर्भ में चालू वित्त वर्ष में ही विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों का एक दल विदेश अध्ययन दौरा भी किया।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खेल विश्वविद्यालय स्थापना की आवश्यकताओं के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, परन्तु टीम ने अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं दी है।	अध्ययन के उपरान्त दल द्वारा एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खेल विश्वविद्यालय खोलने हेतु समयबद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खेल विश्वविद्यालय खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1135 / राँची, दिनांक 3/12/12

प्रतिलिपिः अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3327 दिनांक 27.11.12 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/12/12
सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

पूरक प्रश्नोत्तर हेतु उत्तर सामग्री

राज्य सरकार द्वारा लोक निजी भागीदारी के आधार पर खेल विश्वविद्यालय खोलन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु गत वित्तीय वर्ष एक दल द्वारा विदेश अध्ययन किया गया था।

(32)

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 04.12.2012 को श्री चन्द्रिका महथा, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में पोलिटेकनिक या इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं खोला गया है, जिससे यहाँ के गरीब मेधावी छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित है ?	1 स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिलों के जमुआ देवकी प्रखण्ड में पोलिटेकनिक इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	2. भारत सरकार के सहयोग से गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल–बगोदर, मौजा–जरमुने, थाना नं0–108, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–2976, रकवा 10.00 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि पर राजकीय पोलिटेकनिक के निर्माण का निर्णय लिया गया है। भूमि अपयोजन की कार्रवाई की जा रही है। भूमि हस्तांन्तरण होते ही निर्माण के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ किया जाना है। जिले के अन्य स्थानों पर पोलिटेकनिक या अभियंत्रण महाविधालय खोलने पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0वि0स0–51 / 12 3346 /राँची, दिनांकः– 3/12/12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3465 दिनांक 30.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/12/12

(जुल्फिकार अली)
सरकार के अवर सचिव

(33)

श्री विदेश सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–31

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के 6 नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय रनभेरी, नवडीहा, वक, सिलदिलिया, खड़गपुर, कमगारपुर का भवन निर्माण 68 लाख रू0 प्रति विद्यालय की दर पर कराया जा रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कुल 68.10 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति G+1 के निर्माण के लिए दी गई थी एवं विभागीय पत्रांक–2593 दिनांक–31.10.2008 द्वारा प्रथम चरण में मात्र भू–तल (Ground Floor) निर्माण के निदेश के साथ आवश्यक राशि रू0 41.14 लाख जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध करायी जा चुकी है।
2	क्या यह बात सही है कि 26.96 लाख रू0 प्रति विद्यालय की दर से राशि की दूसरी किश्त अभी तक निर्गत किये जाने से विद्यालय का निर्माण कार्य बाधित है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–2593 दिनांक–31.10.2008 द्वारा मात्र भू–तल (Ground Floor) निर्माण के निदेश के साथ वांछित राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो वर्णित भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु राशि उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 एवं 2 में सन्निहित है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–3165/ दिनांक 03/12/12/

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

(34)

श्री मिस्त्री सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-12

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा बोलने वाले आदिवासियों की संख्या झारखंड में सर्वाधिक है।	इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की जा चुकी है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथाली भाषा में पढ़ाई की सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों से उच्च विद्यालयों तक के लिए संथाली भाषा में शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	वस्तुस्थिति यह है कि आवश्यकतानुसार उच्च विद्यालयों में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ संथाली भाषा में भी शिक्षकों का पद स्वीकृत है तथा इस विषय में नियुक्ति भी की गयी है।

3/12/12
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.12/स5(1)-265/2012-3172- दिनांक.....03..... दिसम्बर, 2012/

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

37

श्रीमती गीताश्री उरांव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू–3 क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में काफी कम है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर काफी नीचे गिर रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिन विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है उसमे उच्च योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षको की नियुक्ति करने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–247/2012 3170 / दिनांक 03/12/12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

(38)

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री सौरभ नारायण सिंह, स० वि० स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-29

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्री वैद्यनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी स्कूलों में आर०टी०आई० के तहत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं बैंक का खाता खोलना आवश्यक है;	उतर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 1234 विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन एवम् 14033 विद्यालयों में बैंक खाता नहीं खोला गया है, जिससे विकास का अनुदान आदि प्रभावित हो रहा है;	उतर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिन विद्यालयों में प्रबंध समिति का बैंक खाता नहीं खुला है, उन विद्यालयों के ग्राम शिक्षा समिति के खाते में अनुदान की राशि दी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित एवम् छात्रहित में प्रबंध समिति का गठन एवम् बैंक खाता शीध्र खोलवाना चाहती है, नहीं तो क्यों?	सभी विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन कर बैंक खाता खोलने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के उप सचिव

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -5/वि०स०(अ०सू०)-128/12-653/ राँची, दिनांक 3.2.2012

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3452 दिनांक 30.11.12 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

40

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू–1

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में मॉडल विद्यालय की स्थापना की गई है जहाँ अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रू0 की दर से भुगतान किया जा रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वस्तुतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आधार पर घंटी आधारित 120/– रुपये मानदेय के आधार पर वर्त्तमान में मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान मे केन्द्रीय विद्यालयों में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों की भुगतान की दर 250/–रू0 प्रति घंटी के साथ ही भारत सरकार से मॉडल विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्ण वेतन भुगतान की राशि दी गयी है।	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें भारत सरकार द्वारा इन विद्यालयों में विधिवत् वेतनमान् में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। सम्प्रति इन विद्यालयों में शिक्षकों की विधिवत् नियुक्ति में समय लगने की संभावना है तथा इन विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप नामांकित बच्चों को शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु तत्काल केन्द्रीय विद्यालय में प्रति घंटी 120/– रुपये निर्धारित मानदेय के आधार पर इन शिक्षकों को भी मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मॉडल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर 250/–रू0 प्रति घंटी भुगतान करने एवं विद्यालयों में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति करने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	मानदेय बढ़ोतरी पर विधिसम्मत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली गठन की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–244/2012...3167...../ दिनांक...03/12/12...../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
–सह–संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

(41)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू-2

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को 300 दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान एवं जिनकी नियुक्ति 01.12.2004 या उसके बाद हुई है, उन्हे अंशदायी पेंशन योजना 2004 का लाभ तथा प्रतिमाह नियमित पूर्ण वेतन भुगतान दिया जा रहा है, परन्तु इन सुविधाओं का लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है।	गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 द्वारा दिनांक 02.10.1980 के प्रभाव से सभी प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों (गैर सरकारी अल्प संख्यक विद्यालयों को छोड़कर) राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अधिग्रहण के पश्चात् ऐसे गैर सरकारी अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त मात्र पेंशन एवं उपादान की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है एवं गैर सरकारी अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अव्यवहृत अर्जितावकाश देने का प्रावधान प्रारम्भ से ही नहीं है। 2. ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित पूर्ण वेतन देने हेतु ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कुल रुपया 75.00 करोड़ की राशि विमुक्त कर चुकी है। 3. ऐसे गैर सरकारी अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नियोजनकर्त्ता संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति होती है। ऐसी स्थिति में तत्काल दिनांक 01.12.2004 या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मी को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तथापि राज्य सरकार इस संदर्भ में विधि सम्मत् कार्रवाई कर रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी एक खण्ड मे वर्णित सुवधिाओं का लाभ देने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-248/2012.....3168...../ दिनांक....03/12/12.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

42

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 04.12.2012 को श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–18 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में शेख भिखारी शहीद विश्वनाथ शाहदेव तकनीकी विश्वविधालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये गये है, परन्तु 2012 ई0 तक तकनीकी विश्वविधालय की स्थापना नहीं हो सकी है ?	1 अस्वीकारात्मक। झारखण्ड तकनीकी विश्वविधालय के स्थापना हेतु वर्ष 2011 में माननीय विधान सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया है जिसपर महामहिम के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुरंत राज्यहित में तकनीकी विश्वविधालय की स्थापना करना चाहती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	2. तकनीकी विश्वविधालय के स्थापना उच्च स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरान्त सरकार तकनीकी विश्वविधालय की स्थापना अविलम्ब चाहती है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0वि0स0–52 / 12 3348 /राँची, दिनांकः– 3/12/12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3466 दिनांक 30.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/12/12

(जुल्फिकार अली)
सरकार के अवर सचिव

(43)

डा0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-27		
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्रमांक	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 में बनायी गयी योजना के तहत राज्य में स्टेट ओपेन स्कूल नही खोला गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश संख्या 1550 दिनांक 06.06.2011 द्वारा कुल 24 जिलों के 120 विद्यालयों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के स्टडी सेंटर के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 1793 दिनांक 06.07.2012 द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु जिला स्कूल, रांची में जगह उपलब्ध करायी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि स्टेट ओपेन स्कूल के तहत् राज्य में कुल 20 स्टडी सेंटर खोले जाने थे।	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि स्टेट ओपेन स्कूल के नही खुलने से प्राईवेट परीक्षार्थियों का शोषण किया जा रहा है।	इस खंड का उत्तर भी खंड-1 में सन्निहित है।
4	यदि उपरोक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित में स्टेट ओपेन स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स5(1)-266/2012...3166..../ दिनांक...03...दिसम्बर, 2012/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/12

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-संयुक्त सचिव,
झारखंड, राँची।

44

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 4–12–2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–30

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि **उप मुख्यमंत्री – श्री हेमन्त सोरेन**

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य को राजस्व प्राप्ति का मुख्य आधार खनिज है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य को पचास करोड़ राजस्व की क्षति हुई है ?	अस्वीकारात्मक है। विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण राजस्व क्षति की कोई सूचना नहीं है। प्रतिवर्ष खनन् विभाग में राजस्व प्राप्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग के लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में कोई कार्रवाई अपेक्षित नही है।

ह0/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक – वि०स०(अ०सू०)–86/2012 1823 एम० रांची, दिनांक 3.12.12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3464 दिनांक 30–11–2012 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.12

सरकार के अवर सचिव